जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(जन–सम्पर्क अनुभाग)
(प्रेस विज्ञप्ति)

किसान ट्रांसफार्मर परिवर्तन योजना 15 अगस्त से बिजली मित्र ऐप या उपभोक्ता शिकायत केन्द्र पर शिकायत दर्ज कराने पर बदले जाऐगें जले हुए ट्रांसफार्मर

जयपुर, 10 अगस्त। किसानों के जले ट्रांसफार्मरों को शीघ्रता से बदलने के लिए जयपुर डिस्कॉम क्षेत्र के सभी जिलों में 15 अगस्त, 2018 से किसान ट्रांसफार्मर परिवर्तन योजना लागू लागू की जाएगी। इस सम्बन्ध में डिस्कॉम द्वारा सम्बन्धित अभियन्ताओं को आदेश की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश जारी कर दिए गए है।

जयपुर डिस्कॉम के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री आर.जी.गुप्ता ने बताया कि किसान ट्रांसफार्मर परिवर्तन योजना को लागू करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि 15 अगस्त से कृषि उपभोक्ताओं द्वारा बिजली मित्र ऐप या उपभोक्ता सेवा केन्द्र पर जले हुए ट्रांसफार्मर की शिकायत दर्ज कराने पर जले हुए ट्रांसफार्मर को बदला जाएगा। इसके साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि 15 अगस्त से पहले के लम्बित जले हुए ट्रांसफार्मरों को पूर्व निर्धारित नीति के अनुसार अधीक्षण अभियन्ता–ओ एण्ड एम द्वारा बदलना सुनिश्चित किया जाएगा।

उपभोक्ता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत सत्यापन में गलत पाई जाती है तो इस तरह की शिकायत को रद्ध करने हेतु सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता– ओ एण्ड वी को अधिकृत किया गया है। इसके साथ ही ट्रांसफार्मर चोरी होने व ट्रांसफार्मर के मीटर बॉक्स की वैल्डिंग टूटी पाए जाने के प्रकरण में भी अधिशाषी अभियन्ता– ओ एण्ड वी द्वारा सत्यापन एवं पूर्ण संतुष्टि के बाद ही नियमानुसार ट्रांसफार्मर बदला जाएगा।

अधिशाषी अभियन्ता– ओ एण्ड वी, फीडर इंचार्ज के द्वारा मीटर रीडिंग अवधि के दौरान व अन्य माध्यमों से कृषि उपभोक्ताओं को बिजली मित्र ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करेंगे और उपभोक्ता सेवा केन्द्र के माध्यम से भी बिजली मित्र ऐप को डाउनलोड करने की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।

उन्होंने बताया कि योजना के लागू होने के बाद किसानों के ट्रांसफार्मर लगभग 6 घंटे में बदले जा सकेगें और पुराने ट्रांसफार्मर भी स्टोर में तुरन्त जमा हो सकेगे, जबकि कृषि कनेक्शन नीति 2017 के अनुसार कृषि उपभोक्ता द्वारा जले ट्रांसफार्मर की शिकायत 33/11 केवी. सब–स्टेशन पर संधारित शिकायत पुस्तिका में दर्ज कराने के उपरान्त सामान्य परिस्थितियों में जले/खराब ट्रांसफार्मर को 72 घंटे में बदले जाने का प्रावधान है। जयपुर डिस्कॉम में 4 लाख कृषि उपभोक्ता है और यह योजना केवल किसानों के लिए है। इसके लिए डिवीजन स्तर पर औसत बर्निंग दर के अनुसार ट्रांसफार्मर का रिजर्व स्टाक रखा जाएगा, जिससे शिकायत प्राप्त होते ही ट्रांसफार्मर को बदला जा सके।

———————

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 794/2018